ऋण प्रदान किये जानें के संबंध में बैंक नियमों का उल्लंघन

1196. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बैंक बिना प्रतिभूति के ऋण प्रदान नहीं कर रहे है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या नियम हैं ;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इन नियमों के उल्लंघन के आरोप में कितने अधिकारियों को दंडित किया गया है; और

(घ) उनके खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सामान्यतया, बैंक उन्हें स्वीकार्य कुछ प्रतिभूतियों की एवज में ऋण प्रदान करते हैं जो संव्यवहारों के अन्तर्ग्रस्त जोखिम पर निर्भर करता है। बहरहाल, प्राथमिकता वाले क्षेत्र के अग्रिमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के अनुसार लघु ऋणों के मामले में ऋणों से सृजित परिसंपत्तियों के गिरवी/दृष्टिबंधक/बंधक रखने को पर्याप्त प्रतिभूति समझा जाता है और बैंक 25,000/– रुपये तक के ऋणों के लिये संपार्श्विक प्रतिभूति/अन्य पार्टी गारन्टी के लिये मांग नहीं करते हैं । 25,000/– रुपये से अधिक के ऋणों के लिये अचल संपत्तियों के रूप में संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा अन्य पार्टी गारन्टी उन्हीं मामलों में मांगी जा सकती है जिनमें प्राथमिक प्रतिभूति अपर्याप्त हो या उसके लिये अन्य वैध कारण हो न कि एक सामान्य मामले के रूप में अन्यथा अर्थक्षम प्रस्तावों को केवल ऐसी सम्पार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पार्टी गारंटी न होने के कारण नामंजूर नहीं देना चाहिये ।

(ग) और (घ) आंकड़ा सूचना प्रणाली उन बैंक अधिकारियों की संख्या संबंधी सूचना नहीं देता है जिन्हें बैंक ऋणों के बदले प्रतिभूतियों के संबंध में नियमों के उल्लघंन के आरोपों में दंडित किया गया हो । बहरहाल, संबंधित बैंक के आंतरिक जांचकर्ताओं और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के खातों की लेखा-परीक्षा और उनकी जांच के दौरान ऋण मूल्यांकन और अन्य मामलों के संबंध में बैंकों में विद्यमान विभिन्न कमियां पाई जाती है । सूचित किये गये उल्लंघनों से संबंधित मामलों में बैंकों द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

Man made Fibre Industry

@1197. SHRI CHIMANBHAI MEHTA:
SHRI SARADA MOHANTY:
SHRIMATI MIRA DAS:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether representations have been made by various sector of man made fibre industry about rationalisation of Customs and Excise duties of inputs that go into the production of these fibres/yarns;

(b) whether it is a fact that BICP has been asked to undertake a fresh cost study of paraxylene, DMI, PTA, PSF and PIY;

(c) if so, how soon is BICP expected to complete the study and submit the report;

(d) whether Government have any plan to effect changes in the Customs/Excise tariffs pending receipt of BICP Report, keeping in view the pressing needs of the market forces; and

(e) if not, the reasons therefor?

@Previously Unstarred question 747, transferred from the 16th July, 1992.